भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *291
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

मिशन वात्सल्य का कार्यान्वयन

***291. श्री नीरज मौर्य:**
श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025-26 के दौरान मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आबंटित बजट, किए गए वास्तविक व्यय और प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आबंटन और वास्तविक उपयोग के बीच अंतर के क्या कारण हैं;
(ख) क्या बच्चों को बाल संरक्षण गृहों की मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा मानकों में कमियों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) सेवाओं में कमियों के कारण समयबद्ध सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विभागीय समन्वय की कमी के कारण अनाथ, निराश्रित और पीड़ित बच्चों को मिशन वात्सल्य और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत समय पर वित्तीय, शैक्षिक और अन्य सहायता नहीं मिल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) दूर-दराज के क्षेत्रों से वंचित, भूमिहीन और निरक्षर परिवारों के निराश्रित बच्चों के सामाजिक समावेशन और अवैध व्यापार से उनकी सुरक्षा के लिए विकसित की गई विशेष निगरानी प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

“मिशन वात्सल्य का कार्यान्वयन” के संबंध में श्री नीरज मौर्य और श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 291 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है तथा इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस अधिनियम में राज्य और जिला स्तर पर सांविधिक निकायों की स्थापना का प्रावधान है जिनमें राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल संरक्षण इकाइयां शामिल हैं। इसमें बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की स्थापना का भी प्रावधान है।

इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जेजे अधिनियम में राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों का प्रावधान है (धारा 109)।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अनाथ बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और परिवार/समाज में पुन: मिलाने जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझेदारी के आधार पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख प्रदान करती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं (सीसीआई) अन्य के साथ-साथ आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि सेवाएं प्रदान करती हैं। गैर-संस्थागत देखरेख सेवा के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप), पालक देखरेख (फॉस्टर केयर) और पश्चात देखरेख (आफ्टर केयर) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

मिशन वात्सल्य में अंतिम उपाय के रूप में बच्चों को देखरेख संस्थाओं में भेजने के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखरेख को बढ़ावा दिया जाता है। गैर-संस्थागत देखरेख के तहत प्रायोजन, पालक देखरेख, दत्तक ग्रहण और पश्चात देखरेख के माध्यम से बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में गैर-संस्थागत देखरेख (प्रायोजन/पालक देखरेख/पश्चात देखरेख) के लिए पात्र बच्चों को प्रति माह 4,000/- रुपये प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने 11.03.2020 से 05.05.2023 की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण माता-पिता या जीवित माता अथवा पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों की सहायता के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना तैयार की है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी, जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, उन्हें भी मिशन वात्सल्य योजना के तहत प्रति माह 4000 रुपये मिलते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सेवा प्रदायगी और उनकी तत्समय(रियल टाइम) निगरानी के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श और ताल मेल से राज्य और जिला स्तर पर हितधारकों के लिए एकीकृत समरूप मिशन वात्सल्य पोर्टल तैयार किया है। लापता/पाए गए बच्चों के लिए ट्रेक चाइल्ड पोर्टल तथा लापता/देखे गए बच्चों के लिए खोया-पाया एप्लीकेशन को इस एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। मिशन वात्सल्य पोर्टल का ट्रैक चाइल्ड माड्यूल विभिन्न हितधारकों जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इत्यादि के सहयोग और भागीदारी से कार्यान्वित किया जाता है। इस संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की गई है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों सहित सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों एवं अन्य हितधारकों को इस पोर्टल के कार्यान्वयन के बारे में दिशा-निर्देश (एडवाइजरी) जारी किए गए हैं। यह गृह मंत्रालय के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ भी एकीकृत है, जिसमें लापता बच्चों के बारे में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को मिशन वात्सल्य पोर्टल के आंकड़ों से परस्पर मिलान करने की सुविधा है जिससे संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस के लिए गुमशुदा बच्चों का पता लगाया जाना और मिलान किया जाना सरल हो जाता है। इसके अलावा, खोया-पाया मॉड्यूल के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी भी लापता या देखे गए बच्चे के बारे में सूचना दे सकता है।

मिशन वात्सल्य के तहत आपातकालीन प्रतिक्रिया और आउटरीच सेवा, टोल-फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन (#1098) के माध्यम से प्रदान की जाती है जो संकटग्रस्त परिस्थितियों में फंसे बच्चों के लिए 24x7x365 उपलब्ध है। प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए विशिष्ट महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष (डब्ल्यूसीडी-सीआर) स्थापित किया गया है और यह गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली -112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन (181) के साथ एकीकृत है। जिला मजिस्ट्रेट की समग्र देखरेख में काम करने वाली जिला बाल संरक्षण इकाई जिले में सेवा प्रदायगी और बच्चों की देखभाल तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी है। डीसीपीयू को सभी बाल संरक्षण कानूनों, योजनाओं को क्रियान्वित करती है और मिशन वात्सल्य योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित बाल संरक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु काम करना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों सहित स्थापित संस्थागत तंत्रों के माध्यम से मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बजट आवंटन, किए गए वास्तविक व्यय और हासिल वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की आवधिक और सुव्यवस्थित समीक्षा करता है। ये बैठकें वार्षिक कार्य योजनाओं, निधि के उपयोग और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ की जाती हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करते हैं कि आबंटित निधियों का इष्टतम उपयोग किया जाए और योजना के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जाए।

पिछले वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित मिशन वात्सल्य योजना के तहत जारी राज्यवार निधियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

"मिशन वात्सल्य का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री नीरज मौर्य और श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 291 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित मिशन वात्सल्य योजना के तहत जारी राज्यवार निधि का विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी निधि**
1	आंध्र प्रदेश	38.72
2	अरुणाचल प्रदेश	7.74
3	असम	29.61
4	बिहार	51.95
5	छत्तीसगढ़	28.79
6	गोवा	3.07
7	गुजरात	2.49
8	हरियाणा	7.85
9	हिमाचल प्रदेश	22.56
10	जम्मू एवं कश्मीर	33.79
11	झारखंड	29.76
12	कर्नाटक	45.48
13	केरल	13.80
14	मध्य प्रदेश	61.82
15	महाराष्ट्र	78.90
16	मणिपुर	34.36
17	मेघालय	42.75
18	मिजोरम	33.65
19	नागालैंड	28.36
20	ओडिशा	51.92
21	पंजाब	13.94
22	राजस्थान	30.43
23	सिक्किम	8.51
24	तमिलनाडु	89.14
25	तेलंगाना	27.26
26	त्रिपुरा	18.11

27	उत्तर प्रदेश	107.15
28	उत्तराखंड	20.14
29	पश्चिम बंगाल	47.50
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.60
31	चंडीगढ़	4.90
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.89
33	दिल्ली	6.63
34	लक्षद्वीप	0.09
35	लद्दाख	3.20
36	पुदुच्चेरी	3.21
